15/07/17. पत्रावली [illegible] अदालत केन्द्र म. थाना
मे पेश हुई। [illegible] पक्ष उप. है। प्रतिवादीगण
के विरुद्ध पूर्व से एकपक्षीय कार्यवाही
हो रही थी। प्रतिवादीगण 1, 3, 8 के वारिसान
के सम्बन्ध मे मामला का लोक अदालत
मे उपस्थित होने बाबत सूचित किया गया
लेकिन लोक अदालत मे उपस्थित नहीं
रहे। वादी फौत हो चुका है उनके वारिसान
मे ओमप्रकाश पु० धन्ना उप. है। वादी
पक्ष का कथन है कि ग्राम कोलूखेड़ी कलां
तह. म. थाना के ग्राम की खतौनी नम्बर
53 की खसरा 889 की 2.12 बीघा के
मिनजुमला 13 किता की 10.13 बीघा आराजी
प्रतिवादीगण के खाते दर्ज थी। यह आराजी
पूर्व मे पत्रा, कब्जा पे नम्बर है 2/3
व ओमप्रकाश पु० किशना के 1/3 की
खाते दर्ज थी। खातेदार पत्था ...
उक्त आराजी मे से अपने हिस्से की
1/3 भाग आराजी मे से खसरा 889 की
2.12 बीघा सम्पूर्ण आराजी को पत्था
की कब्जा काश्त मे थी उसे अपने
रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 29/6/82 को
वादी धन्नालाल पु० धीसालाल को बैयान
का कब्जा वादी सम्भला दिया था तभी
से उक्त आराजी पर वादी धन्नालाल का
कब्जा चला आ रहा है इसलिए उक्त
आराजी का वादी को खाते ...

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

Scanned by CamScanner

7)

घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण बावजूद इत्तला
अनु. रहे हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त
वादी द्वारा प्रस्तुत वाद से कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व
अभिलेखों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर
उपलब्ध नकल जमाबन्दी सं. 1 जुलाई 1966 का अवलोकन
करने से स्पष्ट होता है कि ख.नं. 881 की
2.12 बीघा आराजी के मिनजुमले 27 किता की 31.05
बीघा आराजी पप्या, कल्या पि. जस्सा हि. 2/3 बैंकीलाल
पु० किशना 1/3 से दर्ज रेकार्ड है। इस प्रकार पप्या
का हि. 1/3 दर्ज है। पप्या ने अपने हिस्से की 1/3 भाग
आराजी में से ख.नं. 881 की 2.12 बीघा सम्पूर्ण
वादी धन्नू पु० चीमा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र
बेचान कर दिनांक 21/6/82 को कब्जा संभला दिया
है तभी से उक्त आराजी पर वादी का कब्जा
चला आ रहा है यद्यपि पप्या विक्रेता का उक्त
खाते में 1/3 हिस्सा होने से उक्त खाते में भी
उसका 1/3 हिस्सा होता है लेकिन उक्त खाते की
सम्पूर्ण आराजी विक्रेता पप्या के कब्जे काश्त में
होने से उनके द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र बेचान
किया है इसलिए पप्या खातेदार (विक्रेता) के वारिसान
के हिस्से में से बेचान की गयी भूमि 2.12 बीघा
का होकर इन आराजी का वादीगण खातेदार
होकर घोषित होने योग्य है।

अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर आदेश है
कि ग्राम कोलूखेड़ी कलां तहसील मनोहरथाना की
भाग की खाता सं. नया 74 की ख.नं. 881 की 2.12
बीघा आराजी का वादी को खातेदार होकर घोषि

P.T.O.

ड अधिकारी
नोहरथाना

किया जाता है यह आराजी खाता की
गेन्दी बाई पति [illegible] नं. 8 के हिस्से मे
की जावे/ तदनुसार डिक्री जारी की।
की प्रति वास्ते पालना तहसीलदार म.था.
मिसल बाद जावे/ पत्रावली फैसल शुदा [illegible]
रिकार्ड से काम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना